तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिनिवयत्न जज
	17/2013

मामला है उक्त [illegible] कार्यवाही बराबर [illegible] आज पर आज्ञापित हो

इसमें उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया, तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे पाया कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में प्रतिवादी गोविंदसिंह व देवाराम का हिस्सा वादिये [illegible] बेचान पत्र से क्रय कर लिया है, जो कि [illegible] बेचाननामा से स्पष्ट है एवं वादी प्रार्थीगण का विवादित भूमि में हक-हकूक बनते हैं ऐसी हालत में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आकर श्रीमति ललिता देवी मेहता व राजेन्द्रकुमार को प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाता है और गोविंदसिंह व देवाराम को पक्ष पक्षकार से विलोपित किया जाता है संशोधित [illegible] आवेदन पेश हो। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 3.8.2023 को पेश हो। [signature]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

03/08/2023 — पत्रावली पेश हुई। वादी मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या [illegible] उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 श्रीमति [illegible] मेहता व श्री राजेन्द्रकुमार मय वकील उपस्थित। वादग्रस्त भूमि के संबंध में [illegible] की ओर से [illegible] राजीनामा पेश किया [illegible] वकील [illegible] वादग्रस्त भूमि का [illegible]

[signatures]

[signature] 3/8/2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

17/2013

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मिसल किया गया। पक्षकारान की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबध में राजीनामा पेश किए जाने के कारण विवाद का बिन्दु निहित नही होने के कारण तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही है। वादी साक्ष्य में PW-01 हिमाशूसिंह द्वारा लिखित बयानात् स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया गया,जो शामिल मिसल हों। वादी पक्ष ओर साक्ष्य नहीं करना चाहते है,जो वादी साक्ष्य बंद की जाती है। प्रतिवादी साक्ष्य में DW-01 गंगासिंह,DW-02 सरितादेवी, DW-03 राजेन्दकुमार,DW-04 श्रीमति निर्मलकंवर व DW-05 श्रीमति कुन्दनकंवर द्वारा लिखित बयानात् स्वरूप शपथ–पत्र पेश किए,जो बाद तस्दीक शामिल मिसल हो। प्रतिवादी पक्ष की ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है, जो प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाती है।

उभयपक्ष मय अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबध में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति व लोक भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर,माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामा के साथ विभाजन सहमति पत्र पेश किया है,साथ ही नक्शा प्रति संलग्न पेश की है। उक्त विभाजन सहमति पत्र को पंजीबद्ध करवाने हेतु सभी पक्षकार पांबन्द रहेंगे एवं उसके अनुसार अपनें अपनें हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त कायम कर लेगें। राजीनामा अनुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा संख्या 19 कुल क्षेत्रफल 2.7680 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी 01 (गंगासिंह) को आधी खातेदारी की घोषित की जावे। जिसमें प्रतिवादी संख्या 04 व 05 सरितादेवी हिस्सा 1/4,राजेन्द्रकुमार हिस्सा 1/4 कुल हिस्सा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 (गंगासिंह) की खातेदारी में इन्द्राज किया जावे। इस प्रकार उक्त खसरान् 19 की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में होगी,इस संबध में सभी पक्षकारान् सहमत है। राजीनामा के संलग्न विभाजन प्रस्ताव(सहमति)पत्र के पैरा संख्या 08 के अनुसार बंटवाडा करवाने हेतु सभी पक्षकार रजामंदी व सहमत है। अन्त में निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जावे। वादी मय वकील की बहस का समर्थन करते हुए प्रतिवादी मय

(हस्ताक्षर) 31/1/2013

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	वकील ने बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध लोकभावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा होने के कारण माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा के साथ विभाजन प्रस्ताव (सहमति) पत्र पेश किया गया है। पक्षकारान् राजीनामा अनुसार दावा डिक्री करवाने हेतु सहमत है और भविष्य में वादग्रस्त भूमि के संबध में किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं करेगें,इस हेतु पक्षकारान पाबंद रहेगे। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है,तो प्रतिवादी सहमत है।

हमनें उभयपक्षकारान् मय अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड,दस्तावेज व राजीनामा एवं राजीनामा के सलंग्न विभाजन प्रस्ताव (सहमति पत्र) पत्र का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि वादग्रस्त भूमि के संबध में पक्षकारान की ओर से लोक भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया है तथा राजीनामा पर सभी पक्षकारान द्वारा अपनी रजामंदी व सहमति के आधार पर हस्ताक्षर कर रखे है,और माननीय न्यायालय में भी उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए। राजीनामा के अनुसार विभाजन प्रस्ताव के पैरा संख्या 08 अनुसार खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से भूमि का बंटवाडा किया गया है,के अनुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरा संख्या 19 कुल क्षेत्रफल 02.7680 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 01 (गंगासिंह) को देनी तय की गई है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 04 व 05 श्रीमति सरितादेवी मेहता व श्री राजेन्द्र कुमार का कोई हक हिस्सा नही रहेगा। इनको राजीनामा अनुसार खसरा संख्या 17/18 मे भूमि दी गई है। विभाजन सहमति पत्र/बंटवाड़ा मंजूर को पंजिबद्ध करवाने हेतु सभी पक्षकार पाबंद होगें।ऐसी सूरत में राजीनामा विधि सम्मत होना पाया जाता है और राजीनामा अनुसार पक्षकार दावा डिक्री करवाने हेतु सहमत है तथा भविष्य में वादग्रस्त भूमि के सबध में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करने हेतु पाबंद भी रहेगे। ऐसी सूरत में राजीनामा माफिक दावा डिक्री किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

(हस्ताक्षर) 3/8/2023

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री'

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम प्रतिवादीग
श्रीमति उगमकंवर पत्नि अमरसिंह के वारिसान श्री हिमाशूसिंह राठौड पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा	1.गंगासिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी अमरसिंह का बंगला,रातानाडा सी रोड जोधपुर 2.श्रीमति निर्मलाकंवर पत्नि धनश्यामसिंह पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी बनीपार्क सी 11 सवाईसिंह जयसिंह हाईवें जयपुर 3.श्रीमति कुन्दनकंवर पत्नि रणजीतसिंह पुत्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी गेंत्रीवाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर 4.श्रीमति सरितादेवी मेहता पत्नि भरतकुमार जाति ओसवाल निवासी खड रोड यूको बैक के पीछे बालोतरा 5.राजेन्द्रकुमार पुत्र पारसमल जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 6.राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः—88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 17 / 2013
निर्णय दिनांक :—03.8.2023

वादी मय वकील की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 मय वकील की उपस्थिहित एवं प्रतिवादी संख्या 06 अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 03.8.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादी का वाद माफिक राजीनामा अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 19 क्षेत्रफल 02.7680 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 01 (गंगासिंह) की आवगी खातेदारी घोषित की जाती है। राजीनामा मय संलग्न विभाजन सहमति पत्र व नक्शा प्रति निर्णय का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार पचपदरा / उप तहसीलदार जसोल को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 03.8.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

विवेक व्यास
3/8/2023
(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण	रूपया	प्रतिवादी…
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस
4. ...... रूपयों पर प्लीडर की फीस	----	4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह- व्यय		5.आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड	----	जोड

(signature) 3/4/2023
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा